संख्या:1434 / व.ग्रा.वि. / 2002

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल.

वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून: दिनांक 16 फरवरी 2002

महोदय,

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजनाओं में आवंटित खाद्यान्न के ढुलान एवं हैन्डलिंग चार्जेज हेतु व्यवस्थायें करने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं प्रत्येक सप्ताह खाद्यान्न उठान का प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

1. मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तथा खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति पर प्रत्येक माह खाद्य विभाग के बेस गोदाम / ब्लाक गोदाम / आन्तरिक गोदामवार खाद्यान्न आवंटन की मात्रा संभागीय खाद्य नियंत्रकों को सूचित की जायेगी जो भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्धित बेस गोदाम से खाद्यान्न का उठान कराकर केन्द्रवार प्रेषण सुनिश्चित करायेंगे।

2. प्रत्येक बेस गोदाम / ब्लाक गोदाम / आन्तरिक गोदाम से सम्बद्ध सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेतावार आवंटन की सूचना मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा जिला पूर्ति अधिकारियों को दी जायेगी जो उसके अनुरूप सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन सम्बन्धित गोदाम से सुनिश्चित करायेंगे।

3. मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक के द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का उठान, समायोजन विवरण अलग–अलग संकलित किये जायेंगे.

4. योजनावार खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में कूपनों के वितरण का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी का रहेगा। तीन तरह के कूपन छपवाये जायेंगे, सफेद रंग का कूपन कार्यालय में रहेगा, पीला रंग का कूपन दुकानदार के पास भेजा जायेगा और लाल रंग का कूपन मजदूर के पास रहेगा. मजदूर यह कूपन राशन के विक्रेता के पास जमा कर खाद्यान प्राप्त कर सकेगा. दुकानदार इसके लिये अलग से रजिस्टर तैयार करेगा.

5. सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न को जिला पंचायतों को एवं विकास खण्डों को पृथक–पृथक आवंटित किया जा सकता है और दोनों ही संस्थायें अपने स्तर से आन्तरिक गोदाम/पी. डी.एस. की दुकान से खाद्यान्न उठा सकते है.

6. खाद्यान्न ढुलान व्यय की मांग वित्त विभाग को संदर्भित है. योजना की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये जनपद पौड़ी में सुनिश्चित रोजगार योजना में राज्यांश मद में विगत वर्षों के अवशेष 144 लाख की धनराशि से प्रत्येक जनपद को 5 लाख रूपया अग्रिम रूप में इस प्रकार कुल 65 लाख रूपये की धनराशि ढुलाई व्यय हेतु वित्त नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल को दे दी जाय.

7. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वित्त नियंन्त्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को उपलब्ध कराई गई धनराशि का आवंटन उनके द्वारा आवश्यकतानुसार संभागीय लेखाधिकारियों को किया जायेगा जो इसका लेखा अलग रखेंगे तथा प्रत्येक माह व्यय की गई धनराशि का पार्टीवार/चैकवार विवरण सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे. मुख्य विकास अधिकारी उसके

समायोजन/प्रतिपूर्ति हेतु अग्रिम कार्यवाही करेगें.

8. उपरोक्त मद संख्या 6 पर उल्लिखित प्रत्येक जनपद को अग्रिम के रूप में आवंटित 5 लाख रू0 की धनराशि के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद हेतु 5 लाख रू0 बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पौड़ी द्वारा भुगतान कर किया जायेगा और यह धनराशि हैन्डलिंग चार्जेज, कूपन छपाई एवं स्थानीय ढुलान आदि के लिये व्यय की जायेगी. इस प्रकार प्रत्येक जनपद को अग्रिम के रूप में आवंटित 10 लाख रू0 का समायोजन सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के सापेक्ष प्राप्त राज्यांश के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा.

9. जब तक राज्यांश की स्वीकृति प्राप्त नही होती और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पौड़ी से अग्रिम 5 लाख रूपये की धनराशि मुक्त नहीं होती तब तक समस्त मुख्य विकास अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में उपलब्ध धनराशि यथा ब्याज आदि से ढुलाई आदि व्यय को वहन कर लें.

10. मुख्य विकास अधिकारी/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि में से सम्भागीय लेखाधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम गोदाम से बेस/आन्तरिक/ब्लाक गोदाम तक परिवहन एवं हैन्डलिंग चार्जेज का भुगतान सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से किया जायेगा तथा बेस/आन्तरिक/ब्लाक गोदाम से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान तक परिवहन व्यय का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से एवं विक्रेता को लाभांश का भुगतान शासन द्वारा स्वीकृत दर से किया जायेगा. जिला पूर्ति अधिकारी खाद्य गोदाम/केन्द्रों से सम्बद्ध विक्रेताओं के लाभांश/परिवहन व्यय के विपत्र सत्यापित कर सम्भागीय लेखाधिकारी को मासिक रूप से प्रेषित करेंगे. सम्भागीय लेखाधिकारी जॉच के उपरान्त विक्रेताओं के लाभांश/परिवहन व्यय का भुगतान जिला पूर्ति अधिकारियों, सम्बन्धित केन्द्र प्रभारियों के पद नाम से चैक तैयार कर उपलब्ध करायेंगे.

11. खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा औसत मानक दरें निम्नानुसार सूचित की गई है जिनके आधार पर खाद्य विभाग को धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी. इन दरों में परिवर्तन होने पर ग्राम्य विकास विभाग/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी.

क.सं.	मद	औसत व्यय प्रति कुन्टल
1.	भा.खा.नि. के गोदाम से राज्य सरकार के गोदामों तक औसत व्यय, लदाई, उतराई सहित	5.10
2.	बेस गोदाम से आन्तरिक गोदामों तक औसतन परिव्यय	35.72
3.	आन्तरिक गोदामों से राशन की दुकानों तक औसतन परिवहन व्यय	38.26
4.	राशन की दुकान का लाभांश	6.00
	औसतन कुल व्यय प्रति कुन्तल	85.08 या 85.00रू0 प्रति कु0

12. मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक आवंटित खाद्यान्नों का श्रमांश के रूप में वितरण भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे एवं साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करायेंगे.

13. किसी भी स्थिति में प्रश्नगत खाद्यान की आपूर्ति गोदामों एवं पी.डी. एस. की दुकानों से निर्धारित समय के अन्दर वितरित करा दिया जाय, अन्यथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व परियोजना निदेशक का होगा.

मुख्य विकास अधिकारियों ने अवगत कराया है कि गत वर्षों में ढुलाई चार्जेज के रूप में आपूर्ति विभाग को दी गई धनराशि का समायोजन आपूर्ति विभाग द्वारा नहीं दिया गया है इस स्थिति में यह आवश्यक होगा कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल को अग्रिम के रूप में दिये जा रहे ढुलाई व्यय की धनराशि का समायोजन उठान के एक माह के अन्दर कर दिया जाए. यह आदेश सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तरांचल शासन की सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

यह आदेश तत्काल लागू होंगे.

भवदीय

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

संख्या 1434 / ग0ग्रा0वि0 / 2002 तद् दिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, खाद्य एवं नागरिक, आपूर्ति उत्तरांचल शासन.
2. समस्त जिला अधिकारी, उत्तरांचल.
3. क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल एवं कुमाऊ.
4. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरांचल.
5. उपायुक्त (प्रशासन) / उपायुक्त (कार्यक्रम) ग्राम्य विकास एवं पचायतीराज निदेशालय, उत्तरांचल पौड़ी.
6. मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी को इस आशय से कि वे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत अवशेष धनराशि का उपरोक्तानुसार आवंटन सुनिश्चित कर शासन को अवगत करायें.

(संजीव चोपड़ा)
सचिव